भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2482
13 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई के अंतर्गत परिचालन स्थिति की समीक्षा

2482. श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री रायगा कृष्णैयाः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री जग्गेशः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमएफएमई योजना के आरंभ से अब तक इस योजना के अंतर्गत औपचारिक बनाए गए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, अब तक एकत्रित कुल निवेश की जानकारी क्या है;
(ख) क्या स्वीकृत इकाइयों का क्षेत्र-वार वितरण, जिसमें महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा आकांक्षी जिलों की भागीदारी शामिल है, का अभिलेख रखा जाता है और उनकी निगरानी की जाती है;
(ग) क्या अनुमोदित साझा अवसंरचना सुविधाओं और इनक्यूबेशन केंद्रों की संचालनात्मक स्थिति और उपयोगिता स्तर की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार समीक्षा की गई है;
(घ) क्या रोजगार सृजन, कारोबार वृद्धि, बाज़ार संपर्क एवं निर्यात संवर्धन के दृष्टिगत मापनीय परिणामों का मूल्यांकन किया गया है और आगे विस्तार की योजना बनाई गई है; और
(ङ) पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन की शेष अवधि में ऋण प्रवाह, ब्रांडिंग में सहायता और निर्यात के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, योजना के प्रारंभ से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 59,202 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण किया गया है। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। देश भर में इस योजना के तहत कुल मिलाकर 17015.8 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

(ख): मंत्रालय स्वीकृत इकाइयों का क्षेत्र-वार वितरण रखता है, जिसमें महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और आकांक्षी जिलों की भागीदारी शामिल है, और लेंडिंग बैंकों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ बैठकों के माध्यम से इसकी नियमित रूप से मॉनिटर करता है।

(ग): मंत्रालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के माध्यम से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत साझा अवसंरचना सुविधाओं और इन्क्यूबेशन केंद्रों की चालू और उपयोग स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता है। 31 दिसंबर 2025 तक, साझा अवसंरचना सुविधाओं के लिए 108 ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 88 ऋण वितरित किए जा चुके हैं और 59 सुविधाएं प्रचालनरत हैं। इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 76 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 23 इन्क्यूबेशन केंद्र चालू हो चुके हैं। उपयोग स्तरों की समीक्षा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए), मेंटर संस्थान और मेजबान संस्थान द्वारा आयोजित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। ये निरीक्षण भौतिक प्रगति और उपयोग की शुरुआत को सत्यापित करते हैं।

(घ): मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के लिए एक तृतीय-पक्ष मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया है। 31 मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना से 2.8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। पीएमएफएमई लाभार्थियों ने योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के बाद औसत टर्नओवर में लगभग 1.7 गुना वृद्धि दर्ज की है। अध्ययन के अनुसार, लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से ने बेहतर बाजार पहुंच और वितरण नेटवर्क का संकेत दिया है, जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी लाभार्थियों में से 85% से अधिक और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में से लगभग 80% ने योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बाद बेहतर बाजार संपर्क की सूचना दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने रोजगार सृजन, टर्नओवर में वृद्धि, बाजार संबंधों को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के संदर्भ में पीएमएफएमई योजना के प्रभाव और उपयोग को बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय योजना की शुरुआत से ही समाचार पत्रों के विज्ञापन, रेडियो जिंगल, प्रदर्शनियों और मेलों, और क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है।

(ङ): योजना के अंतर्गत मंत्रालय नियमित रूप से देश में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए लेंडिंग बैंकों और राज्य सरकार के साथ बैठक करता है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर पर और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में भी उठाया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राज्य और जिला स्तर पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण में भागीदारी के माध्यम से बाजार पहुंच को भी सुगम बना रहा है।

अनुबंध

दिनांक 13 मार्च 2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के अंतर्गत परिचालन स्थिति की समीक्षा" के संबंध में राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या *2482 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 दिसंबर 2025 तक पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य-वार फार्मेलाइज्ड उद्यम।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	फार्मेलाइज्ड उद्यम
1	आंध्र प्रदेश	2215
2	अरुणाचल प्रदेश	51
3	असम	1986
4	बिहार	4938
5	छत्तीसगढ	445
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4
7	दिल्ली	280
8	गोवा	103
9	गुजरात	5
10	हरियाणा	507
11	हिमाचल प्रदेश	325
12	जम्मू और कश्मीर	389
13	झारखंड	484
14	कर्नाटक	3507
15	केरल	5139
16	लद्दाख	25
17	मध्य प्रदेश	5721
18	महाराष्ट्र	13722
19	मणिपुर	54
20	मेघालय	147
21	मिजोरम	5
22	नागालैंड	73
23	ओडिशा	1126
24	पुदुचेरी	93
25	पंजाब	1888
26	राजस्थान	417
27	सिक्किम	3
28	तमिलनाडु	8350
29	तेलंगाना	2559
30	त्रिपुरा	132
31	उत्तर प्रदेश	3650
32	उत्तराखंड	790
33	पश्चिम बंगाल	69
	कुल	**59202**